प्रेस नोट
दिनांक– 31.08.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा बरामद–

कार्यवाही–

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/2026 धारा 238(ए), 103(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त गोविन्द कुमार दूबे पुत्र पूजाराम दूबे निवासी दूबे का पुरवा कमड़ावा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, को आज दिनांक 31.08.2026 को शिव ब्रिक फील्ड सुसगवां भट्ठा के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी संगम लाल पुत्र राजेश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम भगौतीपुरवा (उसरैना), थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर तहरीर दी गई कि उनकी भान्जी कोमल उर्फ नीतू पत्नी गोविन्द लाल की दिनांक 29.08.2026 को मृत्यु हो गई। वादी के अनुसार मृतका को उसके ससुराल पक्ष द्वारा पूर्व में मारपीट एवं प्रताड़ित किए जाने की बात वह अपने मायके वालों को बताती थी। सूचना पाकर परिजन मृतका की ससुराल पहुंचे, जहां वह फंदे में बंधी अवस्था में मिली तथा मौके पर डण्डा एवं खून पड़ा हुआ था। तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्त गोविन्द कुमार दूबे की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने अभियुक्त को शिव ब्रिक फील्ड सुसगवां भट्ठा के सामने से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि खाना बनाने की बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था तथा विवाद के दौरान उसने अपनी पत्नी को डण्डे से मारा था। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. गोविन्द कुमार दूबे पुत्र पूजाराम दूबे, निवासी दूबे का पुरवा कमड़ावा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 224/2026 धारा 238(ए), 103(1) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद घटना में प्रयुक्त डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

01. प्र0नि0 राजेश कुमार तिवारी थाना खरगूपुर।
02. वरिष्ठ उ0नि0 पंकज कुमार
03. उ0नि0 सुभाष यादव
04. का0 अमित कुमार
05. का0 शिवम कुमार
06. का0 सत्येन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक– 31.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल एवं 02 जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः–

कार्यवाही–

गोण्डा पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चेकिंग एवं गश्त के दौरान 01 अभियुक्त को अवैध पिस्टल एवं 02 जिंदा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.08.2026 को रात्रि करीब 01:40 बजे उ0नि0 शुभांशु पाठक मय हमराह के साथ क्षेत्र में रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं अपराध की रोकथाम हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान सोनी गुमटी रेलवे ब्रिज के नीचे थाना कोतवाली नगर, गोण्डा के पास संदिग्ध अवस्था में मिले एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल एवं 02 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर बरामद अवैध शस्त्र एवं कारतूस को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नितिन यादव पुत्र केशव राम यादव, निवासी पूरे पण्डित वृन्दावन मेहनौनी, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 0799/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध पिस्टल
02. 02 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

01. उ0नि0 शुभांशु पाठक।
02. का0 मनोज गौड़।
03. का0 विनय राय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.08.2026

गोण्डा पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान में 50 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में न्यायालय द्वारा जारी गैर–जमानती/गिरफ्तारी वारण्टों के प्रभावी तामीला एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक ''29.08.2026 से 30.08.2026 तक दो दिवसीय विशेष अभियान'' चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 50 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना वार कार्यवाही का विवरण– अभियान के दौरान थाना को0नगर पुलिस द्वारा 10, थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा 03, थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा 02, थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 08, थाना छपिया पुलिस द्वारा 01, थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा 04, थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 03, थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 02, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा 02, थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा 04, थाना परसपुर पुलिस द्वारा 05, थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 05 तथा थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 31.08.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः—

कार्यवाही—

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2026 को थाना परिसर से पुलिस अभिरक्षा के दौरान फरार हुए वारण्टी अभियुक्त आलोक सिंह को अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत आज दिनांक 31.08.2026 को परसपुर—कर्नलगंज मार्ग स्थित बिहरी मोड़, बसंतपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.08.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में आलोक सिंह पुत्र राजकुमार सिंह, निवासी राजाटोला, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा भी शामिल था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। सभी अभियुक्तों को चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालय में पेशी हेतु ले जाया जा रहा था। चिकित्सीय परीक्षण में विलम्ब होने के कारण सभी को थाना परसपुर लाया गया, जहां थाना परिसर में मौजूद जनता की भीड़ का लाभ उठाकर आलोक सिंह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के सम्बन्ध में थाना परसपुर पर मु0अ0सं0 398/2026 धारा 262 बीएनएस पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार तलाश एवं पतारसी—सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त आलोक सिंह परसपुर—कर्नलगंज मार्ग स्थित बिहरी मोड़, बसंतपुर के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

आलोक सिंह पुत्र राजकुमार सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी राजाटोला, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

1. मु0अ0सं0 398/2026 धारा 262 बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
2. अपराध संख्या 134/15 धारा 147/323 भा0द0वि0, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा— सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01. थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी
02. व0उ0नि0 विजय बहादुर यादव
03. हे0कां0 अमरनाथ राम चालक
04. रि0कां0 राम सिंह मौर्या
05. रि0म0कां0 किरन

मीडिया सेल,गोण्डा।